(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1901 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.04.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 95/13-14/अपील.

---

1. श्रीमती विमलादेवी पुत्री स्व. श्री
   प्रीतमसिंह पत्नी परशुराम सिंह राजपूत
   निवासी विनय नगर, सेक्टर नं. 4,
   लश्कर, ग्वालियर
2. श्रीमती मीराबाई पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिंह
   पत्नी स्व. श्री गादीपाल सिंह
   निवासी महावीरपुरा, मुरैना, म.प्र.
3. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री प्रीतमसिंह
   निवासी आंतरी, जिला ग्वालियर
4. श्रीमती चन्द्रकला पुत्री स्व. श्री प्रीतमसिंह
   पत्नी स्व. श्री वचन सिंह
   निवासी कोटेश्वर मंदिर के पास, ग्वालियर
5. अरविंद सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
   निवासी माता वाली गली, शिंदे की छावनी,
   लश्कर, ग्वालियर
6. श्रीमती रामबाई पुत्री स्व. प्रीतम सिंह
   पत्नी श्री सरनाम सिंह मृत के वारिसान
   अ. भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह
   ब. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह
   स. नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सरनाम सिंह
   निवासीगण पान पत्ते की गोठ,
   लश्कर, ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती भूरी उर्फ भारती पुत्री शंकर सिंह
   दत्तक पुत्री श्री विजय सिंह
   निवासी ग्राम आंतरी, तहसील चीनौर
   जिला ग्वालियर, म.प्र.
2. श्रीमी शीला पुत्री श्री शंकर सिंह
3. श्रीमती महादेवी पुत्री श्री शंकर सिंह
   निवासीगण ग्राम आंतरी, तह. चीनौर
   जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/10/18को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 04.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील चीनौर के ग्राम आंतरी में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 223, 999, 1054, 1092, 1100, 1148, 1497, 1506, 1747 कुल रकबा 10.617 हैक्टेयर में भाग 1/4 रकबा 2.654 हैक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 1508 रक़बा 0.700 हैक्टेयर में से भाग 1/2 रकबा 0.350 हैक्टेयर को पूर्व भूमिस्वामी महिला आनंदीबाई से स्व. प्रीतमसिंह द्वारा क्रय की गई तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 35 दिनांक 26.06.2002 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2002 से नामांतरण स्वीकार हुआ तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। विचारण न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 115, 116 के

अंतर्गत स्व. प्रीतमसिंह द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि नामांतरण पंजी में नामांतरण करते समय भूलवश सर्वे क्रमांक 1508 का इन्द्राज छोड़ दिया गया है, जिसे दुरूस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में स्व. प्रीतमसिंहका नाम दर्ज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/2010-11/अ-6 दर्ज करते हुए आदेश दिनांक 20.12.2011 से सर्वे क्रमांक 1508 पर स्व. प्रीतमसिंह के नाम संशोधन किया जाकर राजस्व अभिलेख मे अमल कराये जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध रामदेई बेवा शंकरसिंह एवं भूरी उर्फ भारती द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14.09.2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.04.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2011 से पंजी क्रमांक 35 दिनांक 26.06.2002 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2002 से आवेदकगण के पिता प्रीतमसिंह का नामांतरण किया गया था और उक्त नामांतरण पंजी में सर्वे क्रमांक 1508 का नामांतरण का उल्लेख है और उक्त सर्वे क्रमांक का नामांतरण भी किया गया है, किंतु अमल के दौरान उक्त सर्वे क्रमांक छूट गया है, जिसे अमल करने का आदेश रिकॉर्ड पंजी के मुताबिक सही आदेश दिया है और जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.09.2012 से की है उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समरूप आदेश है और रिकॉर्ड के आधार पर ही आदेश पारित किये गये हैं तथा समवर्ती आदेश होते हुए भी अधीनस्थ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के द्वारा उक्त आदेशों को बिना किसी पर्याप्त कारण एवं बिना किसी दस्तावेज के निरस्त किये जाने में वैधानिक त्रुटि पारित की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित, गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष जो प्रस्तुत दस्तावेज पंजी एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कार्यवाही कर जो आदेश पारित किये गये थे, उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड आदि पर भली भांति मनन न कर एवं संपूर्ण साक्ष्य आदि पर सही विवेचना व सही निष्कर्ष न निकालकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले खारिजी है।

(3) पंजी क्रमांक 35 दिनांक 26.06.2002 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2002 के संबंध में कभी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है। ऐसी दशा में मात्र अमल छूट जाने से सर्वे क्रमांक 1508 का केवल अमल किये जाने का आदेश है, जो सही आदेश है, जिसे खारिज किये जाने में अपर आयुक्त द्वारा गंभीर भूल की गई है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.04.2017 को पारित किया गया है, वह मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है, क्योंकि प्रीतम की मृत्यु 19.02.2017 को हो चुकी है और इसी प्रकार मु. रामदेई की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी जानकारी अनावेदक भूरी उर्फ भारती द्वारा प्रकरण के चलते दौरान प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो कानूनन दृष्टि से विधिसंगत आदेश नहीं है और ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 2 व 3 के सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक प्रीतमसिंह के बेटे लोकेन्द्रसिंह द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर नायब तहसीलदार के समक्ष प्रकरण क्र. 27/09-10/अ-6 प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदिका एवं आवेदक क्र. 1 व 2 के उपस्थित होने के बाद उसमें दिनांक 14.02.2011 को फर्जी वसीयत एवं फर्जी वयनामे दिनांकित 24.06.2002 की जानकारी हुई, जिस पर से

अनावेदिका एवं प्रोफार्मा पक्षकार द्वारा सिविल न्यायालय, डबरा के समक्ष फर्जी कूटरचित वयनामे को शून्य घोषित कराने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

(2) प्रीतमसिंह ने सर्वे क्रमांक 1508 पर फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण तो राजस्व अधिकारियों की सांठगांठ से करा लिया, पर उसका अमल नहीं करा सका। बाद में आनंदीबाई के जीवनपर्यन्त उसे मालूम पड़ जाने पर उसके द्वारा उसके कपटपूर्ण कत्यों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने अमल कराने की कार्यवाही नहीं की। प्रीतमसिंह द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष 09.12.2011 को प्रविष्टि संशोधन हेतु संहिता की धारा 115 एवं 116 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से प्रकरण दर्ज कर उसमें आवेदक को बिना सूचना पत्र जारी किये दिनांक 20.12.2011 को प्रीतमसिंह के पक्ष में धारा 116 के अधीन 9 वर्ष से निरन्तरित प्रविष्टि को संशोधन करने का प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के बावजूद भी दिनांक 20.12.2011 को आदेश पारित किया गया, जो अवैध, अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य था और ऐसे आदेश को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्थिर रखने में सारवान विधिक त्रुटि की है।

(3) संहिता की धारा 116 के अधीन आवेदन गलत प्रविष्टि के 1 साल के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर ही नायब तहसीलदार उसे ग्राह्य कर उस पर आदेश पारित कर सकता है, अवधि बाह्य ऐसे प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार कोई आदेश पारित नहीं कर सकता था। इस संबंध में 1980 जे.एल.जे. 706, 1993 आर.एन. 277 (उच्च न्यायालय), 1995 आर.एन. 366, 2002(2) एम.पी.एच.टी. 459 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(4) यद्यपि तहसीलदार/नायब तहसीलदार धारा 115 के अधीन स्वमेव किसी गलत प्रविष्टि को संशोधित कर सकता है, परंतु पक्षकार के आवेदन पर से नहीं। पक्षकार द्वारा आवेदन देने पर उसे धारा 116 के अधीन निर्णीत करना होता है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 515 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। इसलिए नायब तहसीलदार के प्रश्नगत आदेश को धारा 115 के अधीन पारित माना जावे तो ना वह उक्त न्याय दृष्टांत के प्रतिकूल होकर अवैध व निरसन योग्य है और प्रकरण की प्रकृति के समय ऐसे आदेश को स्थिर रखने वाला प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश भी अवैध होकर निरसन योग्य है।

(5) माननीय उच्च न्यायालय ने 2006 आर.एन. 304 के न्याय दृष्टांत के पद 7 में 1998 में हुए नामांतरण के आदेश को 2003 में चुनौती दिए जाने को उस स्थिति में सही ठहराया, जब नामांतरण की प्रविष्टि 1980 में हुई थी। उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थिति में पूर्णत: लागू होता है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में 2002 हुए नामांतरण की प्रविष्टि 2011 तक नहीं हुई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रतिष्ठापित न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल अनावेदक की आपत्ति को अवधि बाह्य मानकर प्रश्नगत आदेश पारित किये हैं, जो कि अवैध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस प्रतिष्ठापित न्याय सिद्धांत कि कपट द्वारा प्राप्त किए गये नामांतरण शून्य होता है और उसे कभी भी चुनौती दी जा सकती है, की अवहेलना कर आक्षेपित आदेश पारित किए गए हैं, जो कि विधि व न्याय के प्रतिष्ठापित सिद्धांतों के प्रतिकूल होकर निरस्ती योग्य हैं।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित सर्वे क्रमांक 1508 का वसीयतनामे के आधार पर आवेदक क्रमांक 3 के द्वारा नामान्तरण कराये जाने का आवेदन प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 14-2-2011 से उक्त आवेदन का निराकरण किया जा चुका है । प्रकरण में यह विचारणीय बिन्दु है कि जब सर्वे क्रमांक 1508 पर वसीयतनामे के आधार पर निराकरण हो चुका है तब उसी सर्वे क्रमांक का आनन्दीबाई द्वारा विक्रय कैसे किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा किस आधार पर आवेदक क्रमांक 3 के पिता के हक में राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि पर नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इन महत्वपूर्ण बिन्दु पर कोई विचार नहीं कर अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है, जबकि सर्वे क्रमांक 1508 पर नामान्तरण पंजी क्रमांक 20 दिनांक 12-4-2010 में पारित आदेश दिनांक 28-5-2010 से रामदेवी, शीला, महादेवी, भूरी, रचना, नीतू के नाम नामान्तरण हो चुका था, तब ऐसी स्थिति में ये भी हितबद्ध पक्षकार थी । इन्हें विचारण न्यायालय द्वारा न तो कोई सूचना दी गई और न ही सुनवाई का अवसर दिया गया । इस बिन्दु पर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई

विचार नहीं किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में न्यायिक एवं विधिसंगत कार्यवाही की गई है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर